राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
- 5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 8591/2021 M/s Om Granite, House No. 1, Didwara, Tehsil - Lavkush Nagar, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (1,00,000 cum per annum) (Khasra No. - 410 (Part)), Village - Churyari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 410 (Part)), Village - Churyari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 506वीं दिनांक 09 / 08 / 2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

सेक की 568वीं बैठक दिनांक 30/04/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप गुप्ता (ऑन—लाईन) और उनकी ओर श्री के.सी. पाण्डा, M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.) पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्व दिशा में 1200 मीटर पर आबादी तथा 1000 मीटर पर रोड है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान परिवहन मार्ग का रख—रखाव, ब्लास्टिंग के समय का निर्धारण तथा सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे विद्यालय में फर्नीचर तथा खेल के मैदान का समतलीकरण एवं वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि :—

- परियोजना प्रस्तावक को खदान 2018 में स्वीकृत हुई है तथा आवंटित लीज क्षेत्र के उत्तर-पिश्चमी हिस्सा में पिरयोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् कार्य किया गया है जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि बगल की खदान मालिक द्वारा हमारे क्षेत्र में अज्ञानतावश उत्खनन् कार्य किया है हमारे द्वारा उत्खनन् कार्य नहीं किया गया है । सिमिति ने निर्देशित किया कि इस संबंध में खिनज अधिकारी का लिखित अभिकथन प्राप्त किया जाये ।
- सिमिति ने यह भी पाया कि इस लीज क्षेत्र के पिश्चम क्षेत्र में जिस खदान मालिक द्वारा खनन् कार्य किया जा रहा है, उसको गूगल इमेज से देखने पर ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के उपाय (जैसे: वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक इत्यादि) नहीं किए गए है । अतः सिया से अनुरोध है कि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जाये ।
- फार्म-02 में पी.एम. 2.5 की इन्क्रीमेंटल नही दी गई, इस बारे में कारण स्पष्ट करें।
- फार्म-02 के बिंदु क्रमांक-17 में एम.एस.डब्ल्यू. की जानकारी नहीं है ।
- ▶ फार्म-02 के बिंदु क्रमांक-35 (10) में टॉपस्वाइल शून्य दिखाई गई है जो दिये हुए को-आर्डिनेट की लोकेशन अनुसार सही प्रतीत नहीं होती, अतः इस बावत् स्पष्ट जानकारी दी जाये ।
- फार्म-02 के बिंदु क्रमांक-35 (15) में ग्रीन बेल्ट एरिया नहीं दिखाया गया है इस बारे में कारण स्पष्ट करें ।
- प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में पी.एम. 2.5 तथा पी.एम. 10 के परिणाम निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से अधिक है तथा इतनी अधिक मात्रा में पाये जाने का समाधान कारक तथ्य परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।
- रपष्ट करें कि इतनी उच्च वेल्यू के कारण क्या है और इसके रोकथाम के लिए क्या अतिरिक्त उपाय (जैसे : फॉगर, आटोमेटिक स्प्रिंकलर, हाईडेनसिटी प्लांटेशन इत्यादि) प्रस्तावित किये गये है ।
- प्रकरण के परीक्षण के समय पाया गया कि ई.आई.ए. के साथ जो दस्तावेज जैसे : विश्लेषण रिपोर्ट अपलोड किये गये है वे पठनीय नहीं है अतः विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाना संभव नहीं ।

अतः सिमिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुत ई.आई.ए. में पी.एम. 2. 5 तथा पी.एम. 10 के परिणाम निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से अधिक तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार समाधान कारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये पाये जाने के कारण खनन् क्षेत्र की एक माह की बेस लाईन पर्यावरणीय मॉनिटरिंग पुनः करें तथा उपरोक्तानुसार तथ्यों को सिम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।

सिया के पत्र क्रमांक 1538 दिनांक 06/09/22 द्वारा सिया की 724 वीं बैठक दिनांक 17/05/22 के उपरांत 744वीं बैठक दिनांक 30/08/2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ...

''अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुत ई.आई.ए. में पी.एम.2.5 तथा पी.एम.—10 के परिणाम निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से अधिक तथा प्रस्तुतीकरण्एा के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाकार समाधान कारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खनन् क्षेत्र की एक माह की बेस लाईन पर्यावरणीय मॉनिटरिंग पुनः करें तथा उपरोक्तानुसार तथ्यों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।''

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC ककी 568वीं बैठक दिनांक 30/04/22 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से 15 दिवस में SEAC द्वारा वांछित पुनरीक्षित ईआईए रिपोर्ट प्राप्त की जाये ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वांछित जानकारी समय—सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को डिलिस्ट किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक के ई—मेल दिनांक 22/08/22 के माध्यम से सूचित किया है कि उनके द्वारा SEAC की 568वीं बैठक दिनांक 30/04/22 में सुझाई गयी अनुशंसानुसार सभी संशोधन कर लिए गए है, साथ अनुरोध किया गया है उनके प्ररकण को रिलिस्ट किया जाये। प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मित से निर्णय लिया गय कि प्रकरण को रिलिस्ट किया जाये। जाये एवं परीक्षण हेत SEAC को प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का प्रस्तुतीकरण परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप गुप्ता (ऑन–लाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.) उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित लीज क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी हिस्सा जो खनन कार्य किया गया है वह उनके द्वारा नही किया गया है जिसके संदर्भ में उनके द्वारा खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई है । खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1758 दिनांक 17 / 8 / 22 के माध्यम से खनिज निरीक्षक का प्रतिवेदन संलग्न किया है जिसमें यह लेख किया है कि वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस क्षेत्र में कोई उत्खनन् कार्य नहीं किया गया है, पूर्व में हिल्वेज कंपनी द्वारा यह कार्य किया गया था तथा वर्तमान में इन माईन पिट में पानी भारा है । इसी प्रकार परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में पी.एम. 2.5 तथा पी.एम. 10 के परिणाम निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से अधिक पाये जाने के कारण उनके द्वारा एक माह का पुनः गुणवत्ता मापन किया गया है जिसके परिणाम निर्धारित मानकों के अंदर है । पूर्व में प्रयोगशाला में गणना के दौरान हुई त्रुटि के कारण यह गलती हुई थी । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित ई.आई.ए. त्रुटि सुधार कर अपलोड करदी गई है । प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है । छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसके पेज न. 137 के सरल क्रमांक 102 में इस खदान का विवरण दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक को तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र के आस—पास लगाभग 04—05 खदानों के साथ— साथ एक क्रेशर भी संचालित है, जिससे इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं उस्ट मिटिगेशन हेतु फॉगर के द्वारा जल छिडकाव तथा परिवहन मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण करने संबंधी प्रस्ताव ई.एम.पी. में बजट में प्रस्तुतीकरण में दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 1,00,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.44 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5.04 लाख रिकरिंग राशि रू. 0.93 लाख प्रति वर्ष :--

SN	Particular	Capital	Recurring
1.	Cylinders for 46 workers under UjjwalaYojna 1 cylinder per worker*1000/- per cylinder.	46,000	8,000
2.	Furniture for nearby one school.	50,000	25,000
3.	Activities such as solar panels in school. 9SolarLights@12000/-per light+maintenance + Misc	1,08,000	20,000
4.	Constructions and maintenance of damged road from time to time.	1,50,000	25,000
5.	Two Settling Tank [3m (W) x 5m (L) 3m (D)]. Garland drain with hume pipes [558m (L) x 1.5m (W) x 1.5 m(D)].	Costing include d in EMP.	
6.	Awareness camps for oral hygiene(dental health checkup camps), diabetes and blood pressure.	1,50,000	5,000
7.	Development of Fodderland in community area in the Churiyari Village i.e Anjani, Bariraye, Phalkara, Anjan ghas, Khus etc.	50,000	10,000
8.	Cylinders for 46 workers under UjjwalaYojna 1 cylinder per worker*1000/- per cylinder.	46,000	8,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख—रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

S.No.	Yea	No. of Plants to be Planted		* *	Implementati on agency	Rate of Survival
1.	1 st	1240	✓ In safety barrier = 560 ✓ Pheripher	Agave, Ketki slips (Five row), white kastor seeds (one row) and neem with one meter etc.		80%
			y area (676 m)			

	500		Neem, Karanj, Kadam, Chirol, Putrinjiva etc	
	1260	✓ Distribution of Sapling in Village/ School/Panch ayat /i.e Non- Mining Area= 247	Mango, Guava, sitafal, Champa and other fruit bearing local species etc.	
2 nd Year	Maintenance			

2. Case No 8592/2021 Shri Devindra Shivehare, M/s. Om Granite, House No. 1, Didwara, Tehsil - Lavkush Nagar, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (25992 cum per annum) (Khasra No. 410 (Part)), Village - Churiyari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 410 (Part)), Village - Churiyari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.10 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 506वीं दिनांक 09/08/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 22 / 09 / 22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप गुप्ता (ऑन—लाईन) और उनकी ओर श्री के.सी. पाण्डा, M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.) उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान शासकीय है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पूर्वी भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदानो तक आने जाने का कच्चा रास्ता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो की रोड़ का रखरखाव, स्कूल में फर्नीचर, स्कूल मेंदान का समतलीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी । परियोजना प्रस्तावक के तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र के आस—पास लगाभग 04—05 खदानो के साथ— साथ एक केशर भी संचालित है, जिससे इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं

डस्ट मिटिगेशन हेतु फॉगर के द्वारा जल छिडकाव तथा परिवहन मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण करने संबंधी प्रस्ताव ई.एम.पी. में बजट में प्रस्तुतीकरण में दिया गया है ।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है । छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है जिसके पेज न. 139 के सरल क्रमांक 107 में इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 25,992 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.53 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 05.94 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.74 लाख रिक्ररिंग राशि रू. 0.76 लाख प्रति वर्ष ।

SN	Particular	Capital	Recurring
1.	Cylinders for 24 workers under Ujjwala Yojna 1 cylinder per worker*1000/- per cylinder.	24,000	8,000
2.	Furniture for nearby one school.	50,000	25,000
3.	Levelling of a one nearby playground	1,00,000	20,000
4.	Awareness camps and health checkup for eye	50,000	5,000
5.	Two Settling Tank [3m (W) x 5m (L) 3m (D)]. Garland drain with hume pipes [558m (L) x 1.5m (W) x 1.5 m(D)].	Costing included in EMP.	
6.	Development of Fodderland in community area in the Churiyari Village i.e Anjani, Bariraye, Phalkara, Anjan ghas, Khus etc.	50,000	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1650 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख—रखाव दुसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

S.No.	Year	No. of Plants to be Planted	Plantation Area	Species of plantation	Implementation agency	Rate of Survival
1.	1 st Year	550	✓ In safety barrier = 200 ✓ Pheriphery area (470 m)	Ketki slips(one row), white kastor seeds (one row) and neem with one meter burrow etc.		80%
			✓ Both sides of Approach Road= 250	Neem, Karanj, Kadam, Chirol, Putrinjiva etc		
			✓ Distribution of Sapling in Village/ School/Panchayat /i.e Non-Mining Area= 100	sitafal, Champa and other fruit		
2.	2 nd Year	600	✓ In safety barrier = 200 ✓ Pheriphery area (470 m)			80%
			✓ Both sides of Approach Road= 250	Neem, Karanj, Kadam, Chirol, Putrinjiva etc		
			✓ Distribution of Sapling in Village/ School/Panchayat /i.e Non-Mining Area= 100	sitafal, Champa and other fruit		
3.	3 rd Year	500	✓ In safety barrier = 200 ✓ Pheriphery area (470 m)			80%

			✓	Both sides of Approach Road= 250	Neem, Karanj, Kadam, Chirol, Putrinjiva etc.	
			√	Distribution of Sapling in Village/ School/Panchayat /i.e Non-Mining Area= 100	sitafal, Champa and other fruit	
4.	4 th and 5 th Year	Maintena	nce			

3. Case No 9133/2022 M/s DCM Nouvelle Specality Chemicals Ltd, 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi, Prior Environment Clearance for Pharmaceutical Intermediate and API Production at Plot No. 91, 92, 93 in DMIC, Vikram Udhyogpuri, Dist. Ujjain (MP). Cat. 5(f), Env. Consultant:- M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P.

This is case Prior Environment Clearance for Pharmaceutical Intermediate and API Production at Plot No. 91, 92, 93 in DMIC, Vikram Udhyogpuri, Dist. Ujjain (MP). Cat. 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (Dyes & Dye Intermediates) Project.

The case was presented by the Shri Shubham Dubey, Env. Con. from M/s. ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.) on behalf of PP in the 569th SEAC meeting dated 06.05.2022. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with additional TOR points accordingly TOR was recommended in the 569th SEAC meeting dated 06.05.2022.

PP has submitted the EIA report on-line which was accepted by SEIAA and forwarded to SEAC on dated 12.09.2022 and same was received at SEAC on dated 14.09.2022.

The EIA was presented by the Shri Shubham Dubey, Env. Con. from M/s. ENVISOLVE LLP, Indore and PP Shri Rajdeep, President and Shri Sandeep Jain, CFO. During presentation, PP submitted that vide letter dated 15.09.2022 (through e-mail) they have submitted that in our TOR letter it is mentioned that our proposed unit is of API & Pharmaceuticals ingredients but in actual we have applied for a specialty chemicals unit. In

our application form for environmental clearance we have mentioned our project as a specialty chemical unit. We request you to kindly change the title of our project from API & Pharmaceuticals ingredients to specialty chemical unit. Committee observed that on website of SEIAA this title is mentioned and the same has been provided in the TOR letter. Committee recommended that based on the request of PP, the correct title shall be mentioned as M/s. DCM Nouvelle Specality Chemicals Ltd, 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi, Prior Environment Clearance for Specialty Chemical unit at Plot No. 91, 92, 93 in DMIC, Vikram Udhyogpuri, Dist. Ujjain (MP). Cat. 5(f), Env. Consultant:- M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P.

During presentation PP submitted that DCM Nouvelle Limited is setting up the project in the name of its subsidiary DCM Nouvelle Specialty Chemicals Limited for manufacture of specialty chemicals. For which company has acquired land of 86325.5 m² at Plot No. 91, 92 & 93 at DMIC, Vikram Udyogpuri Dist. Ujjain MP. The manufacturing capacity will be 13,500 Tons/Month. Specialty chemicals are important raw materials for the Pharmaceutical, Agrochemicals, Rubber Chemicals, Specialty Polymers & Petroleum industries. This project is an important project for enhancement of healthcare development of people as well as reduction in foreign exchange outgo. The project will be totally based on technologies developed in India and will not import any technologies. This will enhance Research & Design capabilities in India in the field of Chemistry & Specialty Chemicals Projects. The total estimated cost of the project will be Rs 200 Crores.

PRODUCT PROFILE:

S. No.	Product Name	Capacity in MT/M	End Uses
1.	Alkyl Amines	2500	
2.	Aromatic Amines	2500	
3.	Fatty Amines & Amides	5000	Pharmaceutical, Agrochemical,
4.	Alkylated Phenols & Alkali Metal Methylates	2500	Rubber Chemicals, Specialty Polymers & Petroleum industries
5.	Ethoxylates of Fatty Amines & Fatty Alcohols	1000	
Tota	1	13,500 Tons/Month	

During presentation it was obsedved in the Google image that a natural stream is existed within the project site and flowing from the North –West to South-East. Hence, to protect the site from inundation committee instructed to PP that flow shall be maintained of this

stream and water shall be allow to exit through channel and water loving plant species like Karanj, Jamun, Lasoda, Shahtoot etc. shall be planted along the stream within project site.

PP further submitted that this proposed plant will be a "Zero Liquid Discharge" unit. The manufacturing plant & MEE along with ATFD would require steam to obtain this steam company will operate two boilers of 10,000 kg/hr each. The fuel used for boiler will be Furnace oil/ Biomass. The total fly ash generation will be around 32 TPD from both the proposed boilers and will be used in brick manufacturing industries as per Fly Ash Notification, 2009. Fly ash being fluffy its transportation will be in gunny bags or close trucks. During presentation it was observed by the committee that TOR was issued to the PP for 12,000 MT/A but PP has submitted EIA for 13,500 MT/A. PP submitted that they have applied for 13,500 MT which can be varified from productwise details mentioned in PFR but certainly we could not take the cognigence of quantity issued in TOR letter. PP further submitted that since the unit is located in Notified Industrial Area and public hearing is exempted, the production quantity for 13,500 shall be considered and error made by us shall be foregiven. After presentation PP was asked to submit response on following:

- 1. Submit revised layout map depicting natural stream flowing from the North –West to South-East. The natural flow of surface drain shall be protected and maintained by planting species such as Karanj, Jamun, Lasoda, Shahtoot etc and no diversion shall be carriedout for which a commitment shall be submitted by PP.
- 2. PP commitment's that Distillation residue shall not be send to brick manufacturer, instead of this this residue shall be sent to nearest CTSDF site.
- 3. Revised Hazardous waste generation data and its disposal plan.
- 4. Justift proposal for 13,500 MTPA with documentary evidences.
- 5. Details of solvent recovery and commitment for >95% solvent recovery.
- 6. PP commitment's that fly ash shall be disposed through cement industries.
- 7. Revised plantation scheme as suggested by the committee.
- 8. Revised CER as disussed during presentation.
- 4. Case No 7194/2020 Shri B P Kaistha, G.M. M/s Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, "Artefact Towers", 54/3, Chhatrapati Square, Wardha Road, Dist. Nagpur, Mah. 440015 Prior Environment Clearance for Expansion of Manganese Ore Mine in an area of 6.159 ha. (3000 TPA to 12821 TPA) (Khasra No. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102), Village Jarah Mohgaon, Tehsil Katangi, Dist. Balaghat (MP).

This is case of Expansion of Manganese Ore Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,

96, 97, 98, 99, 100, 102), Village - Jarah Mohgaon, Tehsil - Katangi, Dist. Balaghat (MP) 6.159 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक कमांक 465वीं दिनांक 07/11/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

5. Case No 9294/2022 Shri Dilip Singh Rao, Director, M/s Ravi Infrabuild Projects Pvt. Ltd, 95, Hiran Magri Sector-11, Dist. Udaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.0 ha. (1,29,360 cum per annum) (Khasra No. 1/7) Village - Bolkheda, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain, (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/7) Village - Bolkheda, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain, (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 827 दिनांक 03/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान कार्यरत नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

आज दिनांक 22/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसे सेक की 593वीं बैठक दिनांक 07/09/22 को अनुमोदन हेतु सिया का अनुशंसा भेजी गई है, जिसके पेज नं. 79 के सरल क्रमांक—2 इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में दक्षिण दिशा में 80 मीटर प्राकृतिक नाला, 02 जल रोकने की संरचना दक्षिण—पश्चिम दिशा में 95 मीटर पर एवं उत्तर दिशा में

255 मीटर पर है एवं रोड़ पश्चिम दिशा में 425 मीटर पर स्थित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोडेड फार्म—2 में कुछ त्रुटियाँ है, जिनमें सुधार किया जाना होगा, अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए:—

- सिमिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित फार्म—2 (वर्षवार उत्पादन क्षमता का विवरण, ग्राउण्ड वाटर लेवल की पुनरीक्षित जानकारी, ग्रीन बेल्ट संबंधी संशोधित जानकारी इत्यादि)
- खदान में दक्षिण दिशा में 80 मीटर प्राकृतिक नाला है, अतः 20 मीटर का सेटबैक एवं दक्षिण—पश्चिम दिशा में 95 मीटर पर जल रोकने की संरचना है, अतः 05 मीटर का सेटबैक दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- 6. Case No 9295/2022 Shri Dilip Singh Rao M/s Ravi Infrabuild Projects Pvt. Ltd, 95, Hiran Magri Sector-11, Dist. Udaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.90 ha. (1,17,600 cum per annum) (Khasra No. 116) Village Khoriya Padma, Tehsil Jharda, Dist. Ujjain (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 116) Village - Khoriya Padma, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain (MP) 2.90 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 995 दिनांक 13/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान कार्यरत नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

आज दिनांक 22/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसे सेक की 593वीं बैठक दिनांक 07/09/22 को अनुमोदन हेतु सिया का अनुशंसा भेजी गई है, जिसके पेज नं. 79 के सरल कमांक—3 इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में लगभग 30—40 पेड़ लगे हुए है, अतः ट्री—इंवेंट्री (गोलाई, लम्बाई एवं उसकी प्रजाति) प्रस्तुत की जाये । इसी प्रकार लीज क्षेत्र के बीचोबीच से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः उसके संरक्षण हेतु रास्ते के दोनों ओर 10—10 मीटर का नॉन माईनिंग क्षेत्र (एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) के साथ पुनरीक्षित सरफेस मेप एवं पूर्व दिशा में लीज का एक को—आर्डिनेट कच्चे रोड़ आ रहा है, कच्चे रोड़ से लीज की ओर 10 मीटर का सेटबैक (एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप

प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोडेड फार्म–2 में कुछ त्रुटियाँ है, जिनमें सुधार किया जाना होगा, अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए:–

- सिमिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित फार्म—2 (वर्षवार उत्पादन क्षमता का विवरण, ग्राउण्ड वाटर लेवल की पुनरीक्षित जानकारी, ग्रीन बेल्ट संबंधी संशोधित जानकारी इत्यादि)
- खदान क्षेत्र में लगभग 30-40 पेड़ लगे हुए है, ट्री-इंवेंट्री (गोलाई, लम्बाई एवं उसकी प्रजाति) प्रस्तुत करें।
- लीज क्षेत्र के बीचोबीच से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः उसके संरक्षण हेतु रास्ते के दोनों ओर 10-10 मीटर का नॉन माईनिंग क्षेत्र (एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) के साथ पुनरीक्षित सरफेस मेप एवं पूर्व दिशा में लीज का एक को-आर्डिनेट कच्चे रोड़ आ रहा है, कच्चे रोड़ से लीज की ओर 10 मीटर का सेटबैक (एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- 7. Case No 9304/2022 Shri Anand Tamrakar, Prop. H. No.- B-23, Kasturba Nagar, Govindpura, Tehsil- Huzur, Dist.- Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Khodu Bharu Sand Quarry in an area of 1.0 ha. (12000 cum per annum) (Khasra No. 253/1/2/1) Village Barbandh, Tehsil Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Khodu Bharu Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 253/1/2/1) Village - Barbandh, Tehsil Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 22/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आंनद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.िल., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । परियोजना द्वारा सिया द्वारा अनुमोदित छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 115 पर खोदू भरू खदानों के ब्यौरे संबंधी तालिका के सरल क्रमांक—6 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । सिमित ने पाया कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू—भरू खदानों के अन्य विवरणों के साथ उनके को—आर्डिनेट नहीं दिए गए है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट खनन् योजना से लिए गए है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, अतः उन्हें मान्य किया जाये । सिमित की यह अनुशंसा है कि संबंधित खनिज अधिकारी खोदू—भरू खदानों के को—आर्डिनेट को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्ज करें एवं इस बावत् राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव समाघात निर्धारण प्राधिकरण से संचालक, खनिकर्म एवं भौमिकी म.प्र. तथा संबंधित खनिज अधिकारियों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू—भरू खदानों के को—आर्डिनेट भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करने बावत् निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध है । प्रकरण के परीक्षण के दौरान सिमित ने पाया कि यह खोदू—भरू रेत खदान केन नदी से करीब 415 मीटर की दूरी पर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कुल 03 मीटर गहराई तक खनन्

प्रस्तावित है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में 01 पेड़ लगा है, जिसे काटा नहीं जायेगा, इसी के अनुरूप प्रस्तुतीकरण में सरफेस मेप प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—सी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 12,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल रोशि रू. 12.31 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.92 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम हाजीपुर के	शासकीय प्राथमिक शाला में 1 कम्पयूटर, प्रिन्टर, टेबल के	60,000
साथ और 1 आ	लमारी लाइब्रेरी के लिये	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, नागरमोथा, खस, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	650
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	350
	योग	1200

8. Case No 9296/2022 M/s VVC SRL PRO. (V V C REALINFRA) PRIVATE LIMITED, Authorized Person, Shri Brijkishore Singh, 104/105, Saumya Square, Nr. Govardhan Party Plot, Opp. R.H. Kapadia School, Thaltej, Ahemadabad, Dist. Ballia, UP - 277202, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.25 ha. (1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 420) Village - Sagoriya, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 420) Village - Sagoriya, Tehsil - Sagar, Dist.

Sagar (MP) 1.25 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1089 दिनांक 10/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान कार्यरत नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत 01 वर्ष समयाविध हेतु स्वीकृत है तथा बी-2 श्रेणी आता है ।

आज दिनांक 22/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री बृजिकशोर सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.िल., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सागर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसे सिमित की 592बीं बैठक दिनांक 06/09/22 को अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा प्रेषित की गई है, जिसके अध्याय—13 के सरल क्रमांक—3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान से पिचम दिशा में 15 मी. दूरी पर एवं दक्षिण—पूर्व दिशा में 90 मीटर पर कच्चा रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमित द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 1,00,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.73 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 4.16 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम धाटमपुर के स्कूल में रंगाई पुताई, फर्नीचर (10 बेंच 8 लकडी की कुर्सीया और 2 अलमारी)	60,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पाँच पलंग (गद्धा बेड शीट के साथ)	40,000
योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
स्थान		(संख्या में)

बैरियर जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम,जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
ग्राम– गढ़ी सेमरा के ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
	योग	1800

9. <u>Case No 9305/2022 M/s Sai Stone Crusher, Partner, Shri Sunil Kharche, Sausar, Dist. Chhindwara, MP - 480106, Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.808 ha. (12070 cum per annum) (Khasra No. 185,187/2) Village - Saykheda, Tehsil – Sausar, Dist. Chhindwara (MP)</u>

This is case of Stone. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 185,187/2) Village - Saykheda, Tehsil - Sausar, Dist. Chhindwara (MP) 1.808 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1104 दिनांक 22/08/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 में खदान जिसका रकबा 01.961 हे. है, जिसकी अविध समाप्त हो चुकी है और वर्तमान में 01 खदान रकबा 01.594 संचालित है, इस प्रकार इस खदान को मिलाकर 03.402 होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

आज दिनांक 22/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील खरचे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कोग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि..., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। परीक्षण में पाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 328 दिनांक 10/05/22 द्वारा छिंदवाड़ा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है, जिसके पेज नं.—39 के सरल क्रमांक 119 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार उत्तर दिशा में एक पक्का रोड 130 मी. की दूरी पर एवं दक्षिण—पूर्व दिशा में 90 मीटर पर कच्चा रोड़ स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पक्का रोड के कारण 70 मी. का सेडबेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नाधीन आवंटित खनन् क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको इसी स्थिति में लीज आंवटित हुई है एंव यह पुराना पिट है, जो कि सन् 2012 से इस अवस्था में है, जिसे सरफेस मेप में दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एक और पुरानी खदान उत्तर दिशा में है जो गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2010 से स्थित है तथा वर्तमान में अकार्यशील है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन

योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 12,070 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.92 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सायखेड़ा स्कूल में वृक्षारोपण 50 पौधे – नीम, मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार	25,000
बोरगांव प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 02 मेडिकल बेड	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
स्थान		(संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, सिस्सू, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँI	1200
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई	नीम,करंज,खमेर एवं अन्य प्रजातियाँI	500
न्यूनतम 1 मीटर)		
ग्राम के विद्यालय में	नीम, मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार	50
ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ	650
	योग	2400

10. Case No 9283/2022 M/s Maruti Nandan Stones and Minerals, Partner, Shri Devendra Dhanoriya, Ward No. 27, Shrivastava Colony, Lalbag, Dist. Chhindwara, MP - 480001, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.0 ha. (28500 cum per annum) (Khasra No. 118) Village - Pipariya Birsa, Tehsil - Chhindwara, Dist. Chhindwara, MP

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 118) Village - Pipariya Birsa, Tehsil -

Chhindwara, Dist. Chhindwara, (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 593वीं बैठक दिनांक 07/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 22 / 09 / 22 को परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र धनौरिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कोग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि.., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। परीक्षण में पाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 328 दिनांक 10/05/22 द्वारा छिंदवाड़ा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है, जिसके पेज नं. 41 के सरल क्रमांक 139 पर इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज खुल नहीं रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कई उनके द्वारा अपलोड करने के बाद भी गूगल इमेज नहीं खुलती है, अतः उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में को-आर्डिनेट सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना से लिए गए है, जिसे मान्य किये जाने का अनुरोध है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार पूर्व दिशा में 225 मीटर जलीय निकाय, उत्तर दिशा में 110 मीटर पर मानव बसाहट एवं लीज क्षेत्र में 12 पेड़ लगे हुए है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में 110 मीटर पर मानव बसाहट होने के कारण उनके द्वारा 90 मीटर का सेटबैक एवं पेड अच्छादित क्षेत्र में कोई भी पेड काटा जाना प्रस्तावित नहीं है, अतः इसको नॉन माईनिंग जोन (1.50 हे.) दिखाते हुए प्रस्तुतीकरण में संशोधित गूगल मेप प्रस्तुत किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्डे शर्ती संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 28,500 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद[े]में केपीटल राशि रू. 17.41 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.27 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
स्कूल कैंपस में 100 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नाम प्लेट के साथ प्रजाति – नीम,मौलश्री,कचनार,कदम, पुत्रन्जीवा I	50,000

सारना के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 02 मेडिकल बेड	30,000
--	--------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा 📜
स्थान		(संख्या में)
बैरियर जोन	नीम,पीपल,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	1500
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई	करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य प्रजातियाँ	250
न्यूनतम 1 मीटर)		
विद्यालय में	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम एवं अन्य प्रजातियाँ	100
नॉन माइनिंग जोन	नीम, सेजा, अचार, खमेर एवं अन्य प्रजातियाँ	2900
	योग	2400

11. <u>Case No 8817/2021 Smt. Dolly Sharma W/o Shri Raman Sharma, Near Kajol Talkies, Falka Bazar, Lashkar, Dist. Gwalior.</u>

The case was appraised in 586nd SEAC meeting dated 21/07/22 wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is not submitted and thus the case was placed in agenda for delisting. However, after scheduling the case in agenda, PP submitted the reply. The case was scheduled for presentation in the 595th SEAC meeting dated 22/09/22 wherein PP or their authorized representative/ consultant remain absent.

Committee observed that PP of above case have not submitted the desired information and case was pending for > 30 days. SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694^{th} meeting dated 26/11/21 and according to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/ TOR.

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP have not submitting desired information even after 30 days of appraisal and even after placing the case in agenda PP remains absent seems to be deliberate attempt for delying the decision. The committee was of the opinion that this case may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

12. Case No 9324/2022 Shri Anand Tamrakar, Prop. H. No.- B-23, Kasturba Nagar, Govindpura, Tehsil- Huzur, Dist.- Bhopal (M.P.), Prior Environment Clearance for Bharkachha Kalan Sand Quarry in an area of 12.0 ha. (1,50,000 cum per annum) At Khasra No.-614 near Village- Bharkachha Kalan, Tehsil- Badi, District- Raisen (M.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No.-614 near Village- Bharkachha Kalan, Tehsil- Badi, District- Raisen (M.P.) 12.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आंनद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 427 दिनांक 31/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः यह प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 41 के सरल क्रमांक—1 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका—20 (पेज नं.—67) के सरल क्रमांक—37 पर माईनेवल मिनरल पोटेंशियल (60 प्रतिशत)—2,16,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,50,00 घमीटर की हेतु टॉर के लिए आवेदन किया गया है । यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैन्युअल माईनिंग की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर की अनुशंसा करती है:—

- 1. रेत खनन् का प्रकरण नर्मदा नदी में होने के कारण सिर्फ मेन्युअल माईनिंग (Only Mannual Mining) की जाये तथा यदि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
- 2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफलेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज / या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहॉं मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

- 4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा—निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन—पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) योजना ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- 6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शें में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू—क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 8. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 10. चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को—आर्डिनेट ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को—आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को—आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।
- 11. पर्योवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z—11013 / 57 / 2014—I.A. II (M) दिनांक 29 / 10 / 14 के अनुसार अध्यनन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
- 13. Case No 9322/2022 Shri Anand Tamrakar, Prop. H. No.- B-23, Kasturba Nagar, Govindpura, Tehsil- Huzur, Dist.- Bhopal (M.P.), Prior Environment Clearance for Patai Sand Quarry an area of 24.00 ha. (79,887 cum per annum) At Khasra No.- 337,284 Village-Patai, Tehsil-Deori, District-Raisen (M.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No.- 337,284 Village-Patai, Tehsil-Deori, District-Raisen (M.P.) 24.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आंनद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ. प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 427 दिनांक 31/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः यह प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान बने नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन् योजना के ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है जिसके पेज नं. 43 के सरल क्रमांक—49 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । साथ ही तालिका—20 (पेज नं.—68) के सरल क्रमांक—52 पर माईनेवल मिनरल पोटेंशियल (60 प्रतिशत)—4,32,000 घनमीटर उल्लेखित है जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 79,887 घमीटर की हेतु टॉर के लिए आवेदन किया गया है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्ती व निम्न विशिष्ट शर्ती के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :—

- 1. रेत खनन् का प्रकरण नर्मदा नदी में होने के कारण सिर्फ मेन्युअल माईनिंग (Only Mannual Mining) की जाये तथा यदि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
- 2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफलेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज / या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहॉ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा—निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन—पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- 6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शें में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

- 7. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू—क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 8. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 10. चूँिक खदान नदी के क्षेत्र में स्थित हैं, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को—आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को—आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को—आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।
- 11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z—11013 / 57 / 2014—I.A. II (M) दिनांक 29 / 10 / 14 के अनुसार अध्यनन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

14. Case No 9323/2022 M/s Shri Anand Tamrakar, Prop. H. No.- B-23, Kasturba Nagar, Govindpura, Tehsil- Huzur, Dist.- Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Goramchuwai 2 Sand Quarry an area of 20.00 ha. (300174 cum per annum) At Khasra No.- 475, Village-Patai, Tehsil-Deori, District-Raisen (M.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No.- 475, Village-Patai, Tehsil-Deori, District-Raisen (M.P.) 20.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आंनद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ. प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र कमांक 427 दिनांक 31/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 93.00 हे. होता है, अतः यह प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान बने नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन् योजना के ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका

अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है जिसके पेज नं. 41 के सरल क्रमांक—6 पर विचाराधीन खदान का विवरण दर्ज है। साथ ही तालिका—20 (पेज नं.—67) के सरल क्रमांक—42 पर माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—3,60,000 घनमीटर उल्लेखित है जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,00,174 घमीटर की हेतु टॉर के लिए आवेदन किया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर की अनुशंसा करती है:—

- 1. रेत खनन् का प्रकरण नर्मदा नदी में होने के कारण सिर्फ मेन्युअल माईनिंग (Only Mannual Mining) की जाये तथा यदि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
- 2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफलेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज / या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहॉ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा—निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन—पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- 6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शें में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू—क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 8. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 10. चूँिक खदान नदी के क्षेत्र में स्थित हैं, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को—आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में

खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को—आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को—आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।

- 11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z—11013/57/2014—I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्यनन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

15. प्रकरण कमांक 8832/2021 — श्रीमती सोनम जायसवाल, ग्राम बगवनिया तहसील देपालपुर जिला धार (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 46/1पेकी, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन—37,500 मी.³, ग्राम भूडाल तहसील धरमपुर जिला धार के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 46/1पेकी, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम भूडाल तहसील धरमपुर जिला धार म.प्र. पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 534वी बैठक दिनांक 15/12/21 को प्रस्तुतीकरण दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे :-

- PP shall be submitted photographs (with latitude & longitudes) with M.O. clarification w.r.t. human settlements in the North- East side.
- Justify 37,500 TPA wrt quantity mentioned in the form-II.
- Revised CER- Propose proposal of drinking water facility with submersible pump and over head tank and distribution of computer & printer in the village school.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्ततन मंत्रालय की परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई जानकारी का प्रस्तुतीकरण सेक की 549वीं बैठक दिनांक 15/02/2 को समिति के समक्ष किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

🗸 सिमति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 15/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—37,500 मी.³ प्रति वर्ष।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 07.23 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 2.04 प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.70 लाख :--

S. No.	Proposed activity	Annual recurring expenses in Rs.
1.	Distribution of Computer, Printer & Provision for drinking water facilities at Govt. School of Village Dhamnod.	90,000
2.	Medical health check up camp (Oral hygine, Diabetes & Blood Pressure) will be arranged at village Village Dhamnod.	90, 000
3.	Provision of Hand Pump for drinking water at Govt. School of Village Dhamnod.	90,000
	Total	2,70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2400 वृक्षो का वृक्षारोपण :--

		5 5	
कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	नियतं स्थान		
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, अशोक, कचनार, करंज, कदंब,	500
1		अर्जुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, आम,	400
		जामुन, अमरूद, सीताफल, नीबू, इमली एवं	
		अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ट्री–गार्ड के साथ ।	
2	ग्रामवासियों मे वितरण	इमली, आवंला, सीताफल, अमरूद, मुनगा,	1500
3	हेतु	जामुन, नीबू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	
		योग	2400

सिया के पत्र क्रमांक 1521 दिनांक 06/09/22 के द्वारा सिया की 716वीं बैठक दिनांक 07/04/22 के उपरांत 744वीं बैठक दिनांक 30/08/22 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:—

"प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार—विमर्श उपरांत सर्वसम्मित से परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनम जायसवाल पत्नी श्री धर्मेन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम बगानिया तसहील धरमपुर जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्उ विधि) उत्पादन क्षमता 36500 घनमीटर प्रतिवर्ष खसरा नं.46/1 पैकी रकबा 2.0 हेक्टेयर ग्राम भूडाल तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार को आदेश कमांक 2846 दिनांक 24/09/2021 के अनुसार 10 वर्ष की अविध हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः यहय पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23/09/2031 तक मान्य रहेगी"।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फार्म–10 (Corigendum in EC) में आवेदन करते हुए सिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उत्पादन क्षमता मुरूम 37,500 टन / वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता मुरूम 37,500 घनमीटर / वर्ष हो गया है ।

लेख है कि सेक के कार्यवाही विवरण में प्रकरण के शीर्षक में खिनज मुरूम के स्थान पर पत्थर तथा अनुशंसा में उत्पादन क्षमता मुरूम 37,500 टन / वर्ष के स्थान पर 37,500 घनमीटर / वर्ष अंकित हो गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन पत्र जारी करने से पूर्व SEAC के कार्यवाही विवरण में खनिज मुरूम के स्थान पर पत्थर तथा अनुशंसा में उत्पादन क्षमता मुरूम 37,500 घनमीटर के स्थान पर 37,500 टन / वर्ष किये जाने हेतु प्रकरण SEAC को आवश्यक संशोधन हेतु अग्रेषित किया जाये।

आज दिनांक 22 / 09 / 22 को प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि :—

''प्रकरण में एसईएसी की 549वीं बैठक दिनांक 15/02/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को प्रेषित अनुशंसा में त्रृटिवश उत्पादन क्षमता पत्थर—37,500 मी.³ प्रति वर्ष टंकण हो गया था, अतः उत्पादन क्षमता पत्थर—37,500 मी.³ प्रति वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता मुरूम—37,500 टन/वर्ष (15,000 घनमीटर/वर्ष) पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष शर्ते/अनुशंसा यथावत रहेंगी।''

निम्नानुसार उल्लेखित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज अधिकारियों द्वारा आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी चूंकि यह जिला सर्वेक्षण रिपोर्टें एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं थी किंतु संबंधित खनिज अधिकारियों / निरीक्षकों के अनुरोध पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गई :—

16.विदिशा (रेत खनिज)

आज दिनांक 22/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री पंकज वानखेडे, खनिज निरीक्षक खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

Mineral	Sand
Earlier DSR	SEAC 592 th & 594 th Meeting dated 09.06.2022 & 21.0922
Discussed	
Approved /or	Recommended for DSR Updation (Sand Mineral)
recommend for	•
Updation (if	
Updation then	
elaborate	
issues)	
Deliberation in	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592वीं बैठक दिनांक 09/06/22
the SEAC 592 th	
& 594 th	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट — रेत खनिज, जिला — विदिशा

Meeting dated 09.06.2022 & 21.0922

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री एम. एस. रावत, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । विदिशा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेत् प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया कि:—

- 1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 42 लीजवार मानसून पूर्व एंव मानसून पश्चात् उपलब्ध रेत की मात्रा का Potential दिया गया है। रेत मात्रा का Potential की गणना करते समय रेत खदान की औसत गहराई के दशमलव के तीन अंको तक का आंकड़ा दिया गया है। अतएव गहराई बताने वाले आंकड़े को ठीक कर लें एंव मानसून पूर्व एंव मानसून पश्चात् की रेत की मात्रा में 10 गुने तक का अंतर आ रहा है। अतएव इसको भी पुनरिक्षित कर लेवें एंव इसी तालिका में रिमार्क का कॉलम बनाकर लीजवार टीप दें।
- 2. 60 प्रतिशत माईनेवल पोटेंशियल की गणना कर उसको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाये तथा तालिका क्रमांक-35 में लम्बाई की गणना किलोमीटर के साथ-साथ मीटर में भी दी जाये ।
- 3. Mineral Potential deta Metric Tonne मे भी प्रदाय करें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि विदिशा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी। राज्य स्तरीय मृत्यांकन समिति की 594 वीं बैठक दिनांक 21/06/22

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - रेत खनिज, जिला - विदिशा

विदिशा जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) मे पाया गया कि:-

- 1. पेज 36 में दर्शित तालिका जिसमें लीजवार लंबाई, चौड़ाई, एंव गहराई के साथ 60 प्रतिशत मिनरल पोटेंशियल दर्शाया गया है, वह गणना सही प्रतीत नहीं होती। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित की जाना प्रस्तावित है।
- 2. मिनरल डिपोजीशन (प्री-मानसून, पोस्ट-मानसून) को दर्शाने वाली तालिका को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश नहीं किया गया है। अतएव इस तालिका को सम्मिलित किया जावें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि विदिशा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी श्री रविन्द्र परमार को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

Revised DSR received from District Collectorate

Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Vidisha letter No. 2289 dated 12.09.2022

(Mining)	
Hard Copy Soft	Hard copy & Soft copy
Copy or both	
SEAC meeting	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका कृ0 26 पेज न0. 37 में माइनेबल
dated 21/09/22	·
	मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार,
	लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित
	रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि
	उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला— विदिशा के पत्र क0 2289, दिनांक 12/09/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति की अनुशंसा है कि विदिशा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

17. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना—

अ. अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर (मुरूम, फर्शी पत्थर, मिट्टी (चिमनी भटटा), गिट्टी लेटेराईट, एवं शैल) जिला– मुरैना

आज दिनांक 22/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री एस. के. निर्मल, प्रभारी, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

Mineral	Other Minor Minerals (Stone)
Earlier DSR	SEAC 592 th Meeting dated 06.09.22
Discussed	
Approved /or	Recommended for DSR Updation (Other Minor Minerals)
recommend for	

	14.1147 22 14141.44 2022
Updation (if Updation then elaborate issues)	
Deliberation in	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592वीं बैठक दिनांक 09/06/22
the SEAC 592 th Meeting	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना—
dated 06.09.22	<u>अ. गौण खनिज (मिट्टी), जिला, मुरैना,</u>
	आज दिनांक 06/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री विक्रांत वर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:—
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज (मिट्टी) कें पेज कृ0. 10 में प्रदाय की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी का समावेश नहीं किया गया है जैसे:—
	 खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख कार्यशील / गैर कार्यशील केप्टिव / नॉन – केप्टिव पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति खनन की स्थिति
	ब. गौण खनिज (मुरूम खनिज), जिला, मुरैना
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज (मुरूम खनिज) कें पेज क0. 10 में प्रदाय की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी का समावेश नही किया गया है जैसे:—
	 खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख कार्यशील /गैर कार्यशील केप्टिव / नॉन – केप्टिव पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति खनन की स्थिति
	स. गौण खनिज (फ्लेग स्टोन खनिज), जिला, मुरैना
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज (फ्लेग स्टोन खनिज) के पेज क0. 10 में प्रदाय की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी का समावेश नही किया गया है जैसे:—

खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख

	 कार्यशील / गैर कार्यशील केप्टिव / नॉन – केप्टिव पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति खनन की स्थिति
	द. गौण खनिज (गिट्टी), जिला, मुरैना,
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज (गिट्टी) कें पेज क0. 09—12 में प्रदाय की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी का समावेश नही किया गया है जैसे:—
	 खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख कार्यशील / गैर कार्यशील केप्टिव / नॉन – केप्टिव पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति खनन की स्थिति
	चर्चा के दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि मुरैना जिले में रेत खनिज की कोई खदान नहीं है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि मुरैना की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Approved /or	DSR (Other Minor Minerals) for updation
recommend for	Dor (Other Miller als) for appearion
Updation (if	
Updation then	
elaborate	
issues)	
Revised District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Morena No. 996 dated 16.09.2022
SEAC meeting dated 21/09/22	आज दिनांक 22/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री विक्रांत वर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:—
	कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1996 दिनांक 16/09/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट— मुरैना (गौण खनिज—मुरूम) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की

गई है

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 595 वीं बैठक दिनांक 22/09/22 में सतना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:—

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक—निरंक (पेज न0. 6)
 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।
- जिले में हिरत क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक—निरंक (पेज क्0. —6) में दे दी गई है।

ब. गौण खनिज (फर्शी पत्थर), जिला, मुरैना

आज दिनांक 22/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री विकांत वर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:—

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1996 दिनांक 16/09/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट— मुरैना (फर्शी पत्थर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 595 वीं बैठक दिनांक 22/09/22 में सतना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:—

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक—निरंक (पेज न0.
 —10—11) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक—निरंक (पेज क्र0. 10—11) मे दे दी गई है।

स. गौण खनिज- मिट्टी (चिमनी भटटा), जिला, मुरैना

आज दिनांक 22/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री विकांत वर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:—

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1996 दिनांक 16/09/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट— मुरैना मिट्टी (चिमनी भटटा) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 595 वीं बैठक दिनांक 22/09/22 में सतना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:—

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक—निरंक (पेज न0.
 —10—16) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक—निरंक (पेज क्र0. 10— 16) में दे दी गई है।

द. गौण खनिज (गिट्टी), जिला, मुरैना,

आज दिनांक 22/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री विकांत वर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:—

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1996 दिनांक 16/09/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट— मुरैना (गिट्टी) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 595 वीं बैठक दिनांक 22/09/22 में सतना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:—

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक—निरंक (पेज न0. 9—25)
 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक—निरंक (पेज क्0. 9—25) मे दे दी गई है।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला— मुरैना के पत्र कृ0 996 / खनिज / 2022 दिनांक 16 / 09 / 22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी

गई है । अतः समिति मुरैना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज (मुरूम, फर्शी पत्थर, मिट्टी (चिमनी भटटा), गिट्टी लेटेराईट, एवं शैल) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

22. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बैतूल –

अ. रेत खनिज

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1378 दिनांक 19/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 22/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री बी. के. नागवंशी, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

Mineral	Sand
Earlier DSR	SEAC 594 th Meeting dated 22.09.22
Discussed	
Revised DSR	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Baitul letter No.
received from	1379 dated 22.09.2022
District	
Collectorate	
(Mining)	
Hard Copy Soft	Hard copy
Copy or both	
SEAC meeting	
dated 22/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क0. –निरंक पेज न0. 47-49 में
	माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल,
	लीजवार, लंबाई, चौडाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षी
	के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे
	ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03
	वर्षो मे कितना रहा।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला—बैतूल के पत्र क्0 1379, दिनांक 22/09/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की

60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खिनज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति की अनुशंसा है कि बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खिनज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

ब. अन्य गौण खनिज, जिला - बैतूल

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1368 दिनांक 19/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट— बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

जिले की बैतूल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज) मे पाया गया कि:-

- 1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 18 में जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नहीं दी गयी है (तालिका –16 पेज 30)।
- 2. पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किये गौण खनिज का ब्यौरा नही दिया गया है।
- 3. बड़वानी जिले मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज—वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

23.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शाजापुर (रेत खनिज) -

आज दिनांक 21/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री राम सिंग उईके, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

Mineral	Sand
Earlier DSR	SEAC 591 st Meeting dated 27.08.2022

Discussed	
Approved /or recommend for Updation (if	Recommended for DSR Updation (Sand Mineral)
Updation then	
elaborate issues	
Deliberation in the SEAC 591 st	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22
Meeting dated 27.08.2022	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शाजापुर (रेत खनिज) —
	आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री राम सिंग उईके, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :-
	 पेज न0. 40 एंव 43 मे दर्शित की गयी तालिका जिसमें प्री—मानसून रेत की उपलब्ध मात्रा एंव पोस्ट मानसून रेत की उपलब्ध मात्रा एंव पोस्ट मानसून रेत की उपलब्ध मात्रा दर्शायी गयी है, परन्तु दोनों तालिकाओं में (प्री—पोस्ट मानसून) लीज की लंबाई, चौड़ाई नही बतायी गयी है। कृपया इन तालिकाओं को पुनरिक्षित करे। पेज न0. 46 मे रेत की मिनरल पोटेंशियल की गणना करने मे लीज की चौड़ाई को दशमलव के तीन अंको को भी दर्शाया गया है जैसे 26.881 मी., 37.218 मी., 105.263 मी. आदि। अतएव कृपया चौड़ाई को दशमलव के बाद राएण्ड फिगर मे विचार करे एंव यदि किसी लीज विशेष मे रेत की उपलब्ध मात्रा बहुत कम हो तो रिमार्क कॉलम मे इसका उल्लेख करे। रेत की उपलब्ध मात्रा को (मिनरल पोटेंशियल) को मीट्रिक टन में भी दर्शाय।
	चर्चा उपरांत सिमिति की यह अनुशंसा है कि शाजापुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खिनज को सिमिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खिनज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Shajapur letter
received from	No. 486 dated 22.09.2022
District	
Collectorate	
(Mining)	TT-ud
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting	
dated 22/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में तालिका क0. निरंक पेज न0. 47-49 में
	माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षी के उत्खिनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि

विगत् 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के साथ शाजापुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।

(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

595वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.

- i. Minable Potential of sand mine.
- j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल		ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र		02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी		03.5 फਿਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)	बनाना		
	तीन वर्षो तक ।			
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।			

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - 1. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of

tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3 :— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिਟ	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फਿਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तूरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिਟ	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फਿਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट ७ :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained